न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरवाड़, अजमेर

फौजदारी मूल परिवाद सं. 366/2018
सीमा बनाम रामफूल

11.11.2021

परिवादिया सीमा मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त रामफूल अनुपस्थित जिसकी हाजरी माफी जरिए अधिवक्ता पेश हुई जो बाद सुनवाई स्वीकार की गई। शामिल रहे। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित।

इस आदेश के द्वारा अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 45, 67, 73 साक्ष्य अधिनियम दिनांक 28.09.2019 का निस्तारण किया जा रहा है जिस पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थिया द्वारा अभियुक्त के खाली चैक का दुरुपयोग किया गया है व उक्त चैक फर्जी है जो परिवादिया स्वयं द्वारा भरकर/भरवाकर प्रस्तुत किया गया है तथा जानबूझकर परिवाद के पैरा सं. 1 में मिथ्या तथ्य अंकित किए है जिससे असल चैक को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया जाकर जांच करवाया जाना आवश्यक है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त चैक की एफएस एल जांच करवाए जाने का निवेदन किया गया एवं न्यायिक दृष्टांत **2011 LCI (CC) 598 S.B. Criminal Misc. Petition No. 201/2011** पेश किया।

जबकि दौराने बहस परिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जवाब पेश नहीं किया सीधे ही बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से पेश किया गया है तथा चैक की इबारत के संबंध में कोई एफएसएल जांच नहीं की जाती है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया जाकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 45, 67, 73 साक्ष्य अधिनियम का पेश किया है जिसके संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि परिवादिया द्वारा अभियुक्त के खाली चैक का दुरुपयोग किया गया है, चैक फर्जी है व परिवादिया ने स्वयं भरकर या भरवाकर प्रस्तुत किया है। अतः उक्त असल चैक को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एफएस एल जांच हेतु भिजवाए जाने का निवेदन किया है, इस संबंध में न्यायालय को यह दृष्टिगत है कि चैक अनादरण के मामले में चैक में भरी गई इबारत का कोई विवाद नहीं होता है। यहां पर अभियुक्त द्वारा फर्जी हस्ताक्षर होना कथन नहीं किया गया है, मात्र उसकी इबारत के संबंध में आपत्ति दर्ज करते हुए उसे एफएसएल जांच हेतु भिजवाए जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 45, 67, 73 साक्ष्य अधिनियम दिनांक 28.09.2019 स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी हेतु दिनांक 14.12.2021 को पेश हो।